कार्यालय जनपद न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग।
विज्ञप्ति दिनांक 06.10.2016

सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 05–नो0एफ0/XXXVI(1)/2016-01- नो0एफ0/02, न्याय अनुभाग–1, दिनांक अगस्त, 2015 से प्राप्त निर्देशानुसार जिला रूद्रप्रयाग में नोटरी के 01 रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्तागणों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे तथा इस कम में प्राप्त 06 नोटरी आवेदनों को शासन को अग्रसारित किया गया था।

इस सम्बन्ध में अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्र संख्या 07/नो0एफ0/XXXVI(1)/2016-01- नो0एफ0/02, न्याय अनुभाग–1, दिनांक 22 सितम्बर 2016 के द्वारा अवगत कराया गया कि 03 अधिवक्ताओं के आवेदन अपूर्ण थे तथा शेष तीन अधिवक्ताओं द्वारा अन्य तहसीलों के लिए आवेदन किये गये थे, जबकि शासन द्वारा जिला मुख्यालय रूद्रप्रयाग के रिक्त नोटरी के 01 पद हेतु आवेदन मांगे गये थे।

अतः प्राप्त निर्देशन के अनुपालन में जिला रूद्रप्रयाग हेतु 01 रिक्त नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्तागणों से, जो नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 3 के अनुसार अर्हता रखते हैं, नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 4(2)(3) में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार पूर्ण आवेदन अपर सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित (सक्षम प्राधिकारी), द्वारा जनपद न्यायाधीश के माध्यम से ***दिनांक 22.10.2016*** तक दो प्रतियों में आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त आवेदन पत्र प्रशासनिक कार्यालय में जमा किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा। शासन के पत्र की छाया प्रति इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।

तद्नुसार सभी सम्बन्धित को सूचित किया जावे।

जनपद न्यायाधीश,
रूद्रप्रयाग।